

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
जल संसाधन विभाग, पटना ।

सेवा में,

COO-PSP,
Greenko BR01 IREP Private Limited,
Jubilee Hills, Hyderabad.

पटना, दिनांक

विषय:- नवादा जिला के रजौली प्रखंड के सुगहरी पंचायत एवं गोविंदपुर प्रखंड के जोग्या मारण पंचायत में प्रस्तावित Pumped Storage Hydropower (PSP) परियोजना हेतु सकरी नदी से जल उपलब्ध कराने हेतु अनुमति/अनापत्ति के संबंध में ।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-GEPL/BRWRD/2026/02/01 दिनांक-23.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि नवादा जिला के रजौली प्रखंड के सुगहरी पंचायत एवं गोविंदपुर प्रखंड के जोग्या मारण पंचायत में प्रस्तावित Pumped Storage Hydropower (PSP) परियोजना हेतु सकरी नदी से One Time 0.321 TMC (9.09 MCM) एवं Annual 0.05 TMC (1.42 MCM) जल उपलब्ध कराने हेतु निम्न शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:-

- (i) गैर मॉनसून अवधि (जनवरी से मई) में जल की आवश्यकता को पूरी करने के लिए M/s Greenko BR01 IREP Private Limited को अपने व्यय पर मानसून अवधि में पर्याप्त जल संचयन करने की उचित व्यवस्था करनी होगी, जिस पर जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
- (ii) जलापूर्ति प्राप्त करने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था एवं इससे संबंधित संरचना का निर्माण, सम्पोषण एवं रख-रखाव आदि की व्यवस्था M/s Greenko BR01 IREP Private Limited द्वारा अपने खर्च पर स्वयं करना होगा ।
- (iii) निर्माण कार्य के दौरान सभी निर्धारित मानकों का पूर्णतः पालन किया जाएगा ।
- (iv) उक्त निर्माण कार्य से विभागीय स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा ।
- (v) उक्त निर्माण कार्य के कारण बाढ़ के पूर्व या बाढ़ के दौरान तटबंध/नदी किनारा को किसी प्रकार की क्षति होती है तो क्षतिग्रस्त तटबंध/नदी किनारा की मरम्मत M/s Greenko BR01 IREP Private Limited द्वारा उनके व्यय पर करायी जाएगी एवं इसका अनुश्रवण जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय विभागीय पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा ।
- (vi) क्रियान्वयन के क्रम में तथा भविष्य में किसी प्रकार की कठिनाई आने पर जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा दिए गए अनुदेशों का पूर्णतः अनुपालन किया जाएगा ।
- (vii) नदी में जल की उपलब्धता में कमी होने की स्थिति में पर्याप्त जलापूर्ति के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा ।

- (viii) राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल (NGT) एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रदूषित जल को आवश्यक उपचार कर ही नदी में प्रवाहित करना होगा ।
- (ix) नदी से औद्योगिक आवश्यकता हेतु जल की आपूर्ति के लिए बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित जल कर/शुल्क अनुमान्य होगा ।
- (x) उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को रद्द कर दिया जायेगा।
- (xi) M/s Greenko BR01 IREP Private Limited द्वारा जल उपयोग के क्रम में संरचना निर्माण करने की स्थिति उत्पन्न होने पर विभागीय परिपत्र PMC-5/विविध-9-28/2004-पार्ट-I-485 दिनांक-29.08.2024 के आलोक में जल संसाधन विभाग से संरचना निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।
- (xii) संबन्धित संस्था (Company) के सक्षम प्राधिकार को प्रस्ताव के स्वीकृति के पश्चात जल संसाधन विभाग से उपर्युक्त सभी शर्तों सहित अन्य आवश्यक शर्तों के साथ एकरारनामा करना होगा ।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक:-बाढ़(मो०)सि०-बाढ़(मो०)सि०-66/2015-अंश-I-

पटना/ दिनांक-

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित ।

ह०/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक:-बाढ़(मो०)सि०-बाढ़(मो०)सि०-66/2015-अंश-I-

पटना/ दिनांक-

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, लोअर गंगा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, अदालतगंज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक:-बाढ़(मो०)सि०-बाढ़(मो०)सि०-66/2015-अंश-I-

पटना/ दिनांक-

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना /अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, बिहारशरीफ/ कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक:-बाढ़(मो०)सि०-बाढ़(मो०)सि०-66/2015-अंश-I-

पटना/ दिनांक-

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय